बरेलवी अफसानवी हिकायात
और
फिकह के गन्दे मसाइल
अल्लामा
एहसान इलाही
ज़हीर
الحمد لله
Praise be to God
على كل حال..
http://alhamdulillah-library.blogspot.in/
http://alhamdulillah-library.blogspot.in/

बरेलवी अफ़सानवी हिकायात व फ़िक़्ह के गन्दे मसाइल

अज़

अ़ल्लामा अहसान इलाही ज़हीर

नाम किताब : बरेलवी अफ़सानवी हिकायात

अज़ : अल्लामा अहसान इलाही ज़हीर

पेज : 18

संख्या : 1100

सन इशाअत : 2012

कम्पयूटर कम्पोज़िंग : तनवीर ग्राफ़िक्स दिल्ली

प्रक

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

बरेलवी अफ़सानवी हिकायात

किताब व सुन्नत (कुरआन व हदीस) से दूर भागने और पीछा छुड़ाने वाले तमाम बातिल फिर्के खुद साख्ता किस्से कहानियों का सहारा लेते हैं ताकि वह झूटी रिवायात को अपना कर सादा लौह और कम इल्म लोगों के सामने उन्हें दलील के तौर पर पेश करके अपने बातिल व ग़लत नज़रियात को रिवाज दे सकें, फैला सकें।

ज़ाहिर है कि किताब व सुन्नत से तो किसी बातिल अक़ीदे की दलील मिल नहीं सकती। इसलिए उन्हें मजबूरन किस्से कहानियों और झूटी हिकायतों की तरफ देखना पड़ता है ताकि जब किसी की तरफ से दलील मांगी जाए तो फौरन उन हिकायत को पेश कर दिया जाए।

मसलन अक़ीदा यह है कि औलिया–ए किराम अपने–अपने मुरीदों की हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई कर सकें। अब इसकी दलील यह दी जाती है कि शैख अब्दुल क़ादिर जीलानी रह. ने किसी औरत की फ़रियाद पर बारह साल पहले डूबी हुई एक नाव को नमूदार करके उसमे मौजूद डूबने वाले सभी लोगों को ज़िन्दा कर दिया था।

अपनी तरफ़ से एक अकीदा गढ़ा जाता है। फिर उसको बा दलील बनाने के लिए एक हिकायत गढ़ी जाती है। फिर उससे हर झूटे मज़हब का कारोबार चलता है।

ऐसे लोगों के बारे में ही अल्लाह फ़रमाता है "उनकी सारी भागदौड़, मेहनतें, कोशिशें जो दुनियाँ में कीं, सब बेकार हो गईं और समझते यह हैं वह अच्छे (दीन के) काम कर रहें हैं।" (क़हफ़–आयत–104) होता यह है कि दुनियावी लालच में पड़कर ऐसे लोग अपनी आख़िरत बर्बाद कर लेते हैं। और आखेरत में अन्धेरों से भरी ज़िन्दगी उनका मुक़द्दर बन जाती है। सच यही है कि "जिसे अल्लाह हिदायत की रोशनी अता नहीं करे, उसे रोशनी नहीं मिल सकती।" (नूर–आयत–40)

किताब व सुन्नत की पैरवी ही में उम्मत के लिए बेहतरी है। अगर हम इनसे हटेंगे तो खुराफ़ात का शिकार होंगे और नुकसान हमारा ही होगा। उम्मते मुस्लिम के लिए कुरआन व हदीस के अलावा कोई तीसरी चीज़ दलील नहीं हो सकती। अगर किस्से कहानियों को दलाइल की हैसियत दे दी जाए तो मुसलमानों के बीच इत्तेहाद ओर इत्तेफाक़ की कोई सूरत नहीं निकल सकती। मुसलमान सिर्फ अल्लाह तआला की किताब (कुरआन) और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की सुन्नत (हदीस) पर ही जमा हो सकते है।

अफ़सानों को खुद साख्ता रिवायत से हक़ को बातिल और बातिल को हक़ करार नहीं दिया जा सकता। आज हमारे दौर में अगर हिन्दुओं की नक़ल में गढ़ी गई हिकायतों को छोड़कर सिर्फ किताब व सुन्नत की तरफ रूजुअ करें और इन्ही के मुताबिक अपनी ज़िन्दगियों को ढालने की कोशिश करें तो बहुत से गैर इस्लामी अक़ाइद खत्म हो सकते हैं और गिरोह दर गिरोह में बटी इस उम्मत के बीच इत्तेहाद की भी कोई सूरत निकल सकती है।

बरेलवी हज़रात ने बहुत सी हिकायतों को सनद का दर्जा दे रखा है। हम आगे उनकी बेशुमार हिकायतों में से कुछ को नक़ल करते है।

1. "सय्यदी मूसा अबु इमरान रह. का मुरीद जहां कहीं से उन्हें पुकारता, जवाब देते। अगरचे साल भर की राह पर होता या उससे ज़्यादा।" (अनवारूल इन्तेबाह जिल्द–1 सफा–182)

2. हज़रत मुहम्मद बिन फ़ेरगल फरमाया करते थे "मैं उनमें से हूं जो अपनी कब्रों में तसर्रूफ फ़रमाते हैं। जिसे कोई हाजत हो। मेरे पास मेरे चेहरे के सामने हाज़िर हो कर मुझसे अपनी हाजत कहें, मैं पूरी फरमा दूँगा।" (अनवार उल इन्तेबाह, जिल्द–1 पेज–182)

अब इन दोनों अक़्वाल और अक़ाइद की दलील कुरआन की कोई आयत या नबी सल्ल. की हदीस नहीं बल्कि एक हिकायत है, जिसे जनाब अहमद रज़ा साहब ने अपने एक रिसाले में नक़ल किया है।

3. लिखते हैं– "एक दिन हज़रत सय्यद मदयन बिन अहमद असमूनी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु ने वुजु करते वक़्त एक खड़ाऊँ (जूता) बिलादे

मश्रिक (पूर्व के किसी शहर) की तरफ़ फैकी। साल भर के बाद एक शख्स हाज़िर हुए और वह खड़ाऊँ उनके पास थी। उन्होने हाल अर्ज़ किया कि जंगल में एक शख्स ने उनकी साहिबज़ादी (बेटी) की इज़्ज़त पर हाथ डालना चाहा। लड़की को उस वक़्त अपने वालिद के पीर व मुरशद हज़रत पीर सय्यदी मदयन का नाम मालूम न था। बस उसने यूं आवाज़ दी– "ऐ मेरे वालिद के पीर व मुरशद! मुझे बचाइये।" यह निदा (पुकार) करते ही वह खड़ाऊँ आई और लड़की ने उस बदसूरत से निजात पाई। वह खड़ाऊँ उनकी औलाद में अब तक मौजूद है। (अनवार उल इन्तेबाह जिल्द–1 सफा 182)

4. इसी से मिलती जुलती एक और हिकायत नक़ल करते है– "सय्यदी मुहम्मद शम्सुद्दीन मुहम्मद हनफी के मुरीद को सफर के दौरान डाकूओं ने लूटना चाहा। एक डाकू उनके सीने पर बैठ गया तो उस मुरीद ने पुकारा– "ऐ मेरे आक़ा (पीर साहब) मुझे बचाइये। इतना कहना था कि एक खड़ाऊँ उड़ती हुई आई और उस डाकू के सीने पर लगी। वह गश खाकर उलट गया। (अनवारूल्इन्तेबाह–जिल्द 1 पेज–180)

5. "एक भिकारी (भीख मांगने वाला) एक दुकान पर खड़ा कह रहा था– एक रूपया दे! मगर दुकानदार दे न रहा था। भिकारी ने कहा – रूपया देता है तो दे वरना तेरी सारी दूकान उलट दूंगा। इस बातचीत के दौरान थोड़ी देर में बहुत से लोग जमा हो गये। इत्तेफाकन एक साहिबे दिल का उधर से गुज़र हुआ जिनके सब लोग मुअतक़िद थे। उन्होंने दुकानदार से फरमाया– जल्दी से इसे रूपया दे दे वरना तेरी दुकान उलट जायेगी।

लोगों ने अर्ज किया– हज़रत! यह बेशरअ जाहिल क्या कर सकता है? फरमाया मैंने इस फ़कीर (भीकारी) के बातिल (भीतर) पर नज़र डाली कि कुछ है भी?मालूम हुआ कि बिल्कुल ख़ाली है। फिर उसके शेख को देखा तो उसे भी खाली पाया। जब उसके शेख के शेख को देखा तो उन्हें अल्लाह वालों में से पाया और देखा कि वह इन्तेजार में खड़े हैं कि कब इस भिखारी की जुबान से निकले और मैं दूकान उलट दूं।" (मलफ़ूज़ात–अहमद रजा –पेज–189)

अन्दाज़ा लगाईये! एक मांगने वाला जाहिल फ़कीर न नमाज़ पढ़े और

न रोज़ा रखे, बेशरअ शख्स नफ़ा और नुकसान पहुंचाने और तसर्रूफात और इख्तियारात का मालिक है।

किस तरह से ये लोग गन्दे, नापाक, और पलीदी व नापाकी में लथपथ, गालियां बकने वाले, हाथ में भीख का कटोरा लिये, गले में अजीब सी मालाऐं डाले और मैला–कुचैला लिबास तन पर डाले, लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपने पेट को भरने वाले जाहिल लोगों को आम लोगों की नज़रों में मुकद्दस, पाकबाज़, बुजुर्गाने दीन, तसर्रूफात, और इख्तियारात के मालिक हस्तियाँ ज़ाहिर कर रहे हैं और दीने इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात को बिगाड़ रहे हैं।

कुरआन व सुन्नत में तो ऐसी फ़िक्र, तालीम और नज़रियात का कोई वजूद नहीं। इन्होने खुद ही अक़ाइद गढ़े और फिर उनके दलाइल के लिए इस तरह की मनघड़त हिकायात का सहारा लिया। औलिया किराम की कुदरत व ताक़त को बयान करने के लिए बरेलवी हज़रात एक अजीबों गरीब रिवायत का सहारा लेते हैं– लिखते हैं–

6. "एक शख्स सय्यदना बा यज़ीद बुस्तामी रजिअल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ। देखा कि पंजों के बल घुटने टेके आसमान की तरफ देख रहे हैं और आँखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा है?फरमाया– मैं एक कदम में यहां से अर्श तक गया। अर्श को देखा कि अल्लाह तआला की तलब (चाहत) में प्यासे भेड़िये की तरह मुंह खोले हुए है।

मैंने अर्श से कहा– मैं रहमान की तलाश में तुझ तक आया और तेरा यह हाल पाया।

अर्श ने जवाब दिया– मुझे हुक्म है कि ऐ अर्श! अगर हमें तलाशना चाहता है तो बायज़ीद रह. के दिल में तलाश कर।" (हिकायते रिज़विया–पेज–181–182)

बरेलवी मकतबे फ़िक्र के नज़दीक औलिया–ए किराम से जंगल के जानवर भी डरते हैं ओर उनका कहा मानते, फरमाबरदारी करते हैं। इस बात की दलील के लिए जनाब अहमद रज़ा साहब यह हिकायत पेश करते हैं।

7. "एक साहब औलिया–ए किराम मे से थे। उनकी खिदमत में दो आलिम हाजिर हुए। आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। क़िराअते कुरआन में तजवीद के कवाइद में मामूली कमी रह गई। उलमा के दिल में ख्याल आया कि अच्छे वली हैं जिन्हें तजवीद भी नहीं आती। उस वक्त तो हज़रत ने कुछ ना कहा।

हज़रत के मकान के सामने एक नहर जारी थी। ये दोनों आलिम वहां नहाने के लिए गये। कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिये और नहाने लगे। इतने में बहुत हैबतनाक शेर आया और सब कपड़े जमा करके उन पर बैठ गया। ये उलेमा छोटी–छोटी सी लंगोटी बांधे हुए थे। अब निकलें तो कैसे? इस हालत में निकलना उलमा की शान के बिल्कुल खिलाफ है। जब बहुत देर हो गई और ये नज़र न आये तो हज़रत ने फरमाया भाईयों! हमारे दो मेहमान सवेरे आए थे, वो कहां गये?

किसी ने कहा– हुजूर वो तो इस मुश्किल में है। आप नहर किनारे तशरीफ ले गये ओर शेर का कान पकड़कर एक तमाचा मारा। शेर ने दूसरी तरफ मुँह फेर लिया।

फरमाया– हमने कहा था कि हमारे मेहमानों को मत सताना। जा चला जा, शेर उठ कर चला गया। फिर इन आलिमों से फरमाया– तुमने ज़बाने सीधी की हैं और हमने दिल सीधे किये हैं। यह उन उलमा के दिल में पैदा हुए ख्याल का जवाब था।" (हिकायते रिज़विया–पेज–110)

कुछ ऐसी भी हिकायात हैं जिन्हें सुन या पढ़कर हंसी के साथ रोना भी आता है। उन्ही में से कुछ यह हैं–

8. सय्यदी अहमद सिजिलमासी के दो बीवियां थीं। सय्यदी अब्दुल अजीज दब्बाग रह. ने फरमाया–

"रात को तुमने एक बीवी के जागते दूसरी बीवी से सोहबत की। यह नहीं चाहिये था। अर्ज किया हुजूर! वह उस वक्त सोती थी।

फरमाया– सोती न थी, सोते में जान डाल ली थी (यानि झूठ–मूठ सोई थी)

अर्ज किया–हुजूर को किस तरह मालूम हुआ।

फरमाया – जहां वह सो रही थी वहां कोई और पलंग भी था?

अर्ज किया – हां एक पलंग ख़ाली था।

हज़रत ने फरमाया "उस पर में था।" (हिकायते रिज़विया–पेज–55)

इस तरह की गन्दी, नापाक और जिन्सी वाहियात हिकायतों में से है। सय्यदी अब्दुल वहाब की हज़रत सय्यदी अहमद बदवी कबीर रह. के मज़ार पर एक ताजिर (व्यापारी) की कनीज़ (दासी) पर नज़र पड़ी। वह आपको पसन्द आई। जब मज़ार शरीफ पर हाज़िर हूए तो साहिबे मज़ार (बदवी कबीर) ने इर्शाद फरमाया– "अब्दुल वहाब क्या वह कनीज़ तुम्हे पसन्द है।

अर्ज किया – जी हां।

शेख़ से कोई बात छिपाना नहीं चाहिये।

शेख बदवी कबीर ने (कब्र से) इर्शाद फरमाया– अच्छा वह कनीज़ हमने तुम्हें हिबा (गिफ्ट) की।

अब्दुल वहाब हैरान–परेशान कि कनीज़ तो उस ताजिर की है और हिबा हुजूर कर रहे हैं। इतने में वह ताजिर हाजिर हुआ और उसने वह कनीज़ मजारे अकदस की नज़र कर दी। (कब्र से) खादिम को इशारा हुआ और उसने वह कनीज़ अब्दुल वहाब साहब को नज़र कर दी।

साहिबे मज़ार ने इर्शाद फरमाया– अब देर काहे की है, फलाँ हुजरे में ले जाओ ओर अपनी हाजत पूरी करों।

ज़रा सोचिये! कनीजों को मज़ारात की नज़र करने के बाद इसमें और गैर मुस्लिमों और दौरे जाहिलियत की नज़रो नियाज में क्या फर्क़ बाकी रह जाता है। क्या मजारात के इर्द गिर्द हुजरे इसी पवित्र कार्य (पाकीज़ा काम) के लिए तामीर किये जाते हैं? और क्या इन्ही जिन्सी (कामुक) नफ़सानी व हैवानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतों को मज़ारात पर ज्यादा से ज्यादा हाज़िरी देने और ज़ियारत करने की तरफ उभारा जाता है?

जनाब ख़ान साहब बरेलवी दरअसल इस हिकायत से यह साबित

करना चाहते है कि औलिया किराम को इल्मेगैब हासिल है। वह अपनी कब्रों में अपने मुरीदों के दिलों की बातों को न सिर्फ जानते हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कुदरत रखते है। जनाब का दावा और फिर उसकी दलील भी आपने मुलाहेजा की। जनाब ख़ान साहब बरेलवी यह अगली हिकायत नकल करके इस बात की दलील पेश कर रहे हैं कि पीर व मुरशद ही गैब का इल्म नहीं रखते बल्के उनके मुरीदों से भी कोई चीज़ छिपी नहीं रहती। फरमाते हैं–

10. "हजरत सय्यदी सय्यद मुहम्मद गेसूदराज़ अकाबिर उलमा और ख़ावदाने सादात में से थे। जवानी की उम्र थी। सादात की तरह शानों तक गेसू (बाल) रखते थे। एक दफा सरे राह बैठे थे। हज़रत नसीरुद्दीन मेहमूद चिराग़ देहलवी की सवारी निकली। इन्होंने उठकर जानू ए मुबारक पर बोसा दिया। हज़रत ख्वाजा ने फरमाया– सय्यद। ओर नीचे बोसा दो। इन्होंने पैर मुबारक का बोसा लिया। फरमाया– सय्यद! ओर नीचे बोसा दो। इन्होने घोड़ी की दुम पर बोसा दिया। एक बाल घोड़े की रकाबे मुबारक में उलझ गया था, वहीं उलझा रहा और रकाब से सुम (दुम) तक बड़ गया। हज़रात ने फरमाया– सय्यद ओर नीचे। इन्होने हट कर ज़मीन पर बोसा दिया। अपना बाल रकाबे मुबारक से अलग करके तशरीफ ले गये। लोगों को हैरत हुई कि ऐसे बड़े सय्यद ने यह क्या किया?

यह ऐतराज जब सय्यद गेसूदराज ने सुना तो कहा कि लोग नहीं जानते कि मेरे शेख ने इन बोसों (चुम्बन) के बदले में मुझे क्या अता फरमाया है? जब मैंने जानू (रान) पर बोसा दिया तो मुझ पर आलमे नासुत खुल गया जब पैरों पर बोसा दिया आलमें मलाकुत खुला। जब घोड़े की दुम पर बोसा दिया तो आलमे जब्बारूत रोशन हुआ और जब ज़मीन पर बोसा दिया तो लाहुद का इन्किशाफ़ हो गया। (हिकायते औलिया–पेज 63–64)

जबकि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है यही वाह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी है। इनकी तिजारत फायदे मन्द नहीं। यह सीधी राह से भटके हुए है। (बकरा आयत–16)

बरेलवी हजरात का अकीदा है कि अम्बिया किराम और औलिया अल्लाह अपनी कब्रों मे ज़िन्दा हैं। मौत के बाद भी वह दुनियावी ज़िन्दगी की तरह उठतें बैठते खाते पीते और सोते—जागते हैं। अपने मुरीदों की बातों व मुरादों—फरियादों को सुनते और उनकी तलब को पूरा करते हैं। जाहिर है यह अकीदा कुरआन व सही हदीस से तो साबित नहीं है। अलबत्ता बहुत सी ऐसी हिकायतें हैं। जिन्हें इस अकीदे की दलील बनाया जाता है। खान साहब बरेलवी लिखते हैं कि –

11. "इमाम व कुतुब हजरत सय्यद अहमद रफ़ाई रजि. हर साल हाजियों के ज़रिये हुज़ूर सल्ल. को सलाम भेजते थे। खुद जब हाजिर हुए तो रोज़े अकदस (कब्र शरीफ) के सामने खड़े हो कर अर्ज किया कि मैं। जब डूब रहा (दूर) था तो अपनी रूह भेज देता था कि मेरी तरफ से ज़मीन को बोसा दे तो वह मेरी नायब थी अब बारी मेरे बदन की है कि जिस्म खुद हाज़िर है अपना दस्ते (हाथ) मुबारक बाहर निकालिये कि मेरे लब (होंठ) उसे बोसा दें।

चूनाचे नबी सल्ल0 का दस्ते मुबारक रोज़े शरीफ में से जाहिर हुवा और इमाम रफाई ने उस पर बोसा दिया। (मजमूआ—ए रसाईल अज बरेलवी पेज—183) यानि रसूल सल्ल. ने कब्र से हाथ बाहर निकाला ओर शैख रफाई ने उसे चूमा। ध्यान रहे कि यह वाकेआ सन0 555 हिजरी का बताया जाता है। मगर हैरत वाली बात यह है कि लाखों सहाबा किराम को तो छोड़िये चारों खुलफाये राशिदीन और उम्हातुल मुसलेमीन उनमे भी ख़ास आयशा रजि0 के लिए भी कभी आप सल्ल0 ने हाथ बाहर नहीं निकाला जबकि वह सारी ज़िन्दगी उसी हुजरे में रहीं। इन्साफ आप ही कीजिये कि क्या सहाबा किराम की वह पाकबाज़ जमाअत आप सल्ल. को सलाम नहीं भेजती थीं? या उनके सलाम में शैख रफाई वाली खूबी न थी या शेख रफाई के नाम पर गढ़ा गया यह किस्सा झूठा है?

ख़ैर! यह तो आप सल्ल. के बारे में इनका अकीदा था अब यही अकीदा इनके एक बुजुर्ग के बारे में मुलाहेज़ा कीजिये।

12. इमाम अब्दुल वहाब शअरानी हर साल हज़रत सय्यदी अहमद बदवी कबीर रजि. के उर्स पर हाज़िर होते। एक दफा वहां पहुंचने में उन्हें देर हो गई

जब पहंचे तो मुजावरों ने कहा— तुम कहां थे? हज़रत बार—बार मजारे मुबारक से पर्दा उठाकर फरमाते रहे है। अब्दुल वहाब आया?अब्दुल वहाब आया? जब मुजावरों ने यह सारा माजरा सुनाया तो अब्दुल वहाब शअरानी कहने लगे। क्या हुजूर को मेरे आने की खबर होती है,? मुजावरों ने जवाब दिया। खबर कैसी? हुजूर (बदवी कबीर) तो फरमाते हैं कि कितनी ही दूरी पर कोई शख्स मेरे मजार पर आने का इरादा करे मैं उसके साथ होता हूँ। और उसकी हिफाजत करता हूं। (मलफूजात बरेलवी—पेज—275)

एक तरफ तो इन हज़रात का अकीदा है कि औलिया किराम को गैब की तमाम बातों का इल्म होता है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि शैख बदवी कबीर कब्र से पर्दा उठा—उठा कर मुजावरों से पूछते रहे कि अब्दुल वहाब आया है या नहीं? अगर गैब का इल्म था तो बार—बार अब्दुल वहाब साहब के आने के बारे में मुजावरों से पूछने की क्या ज़रूरत थी? जबकि दावा यह है कि मैं मज़ार पर आने वाले हर शख्स के साथ होता हूं और उसकी हिफाज़त (रक्षा) करता हूं। क्या यह अजीब और दिल चस्प बात नहीं?

और आगे देखिये

13. दो भाई अल्लाह की राह में शहीद हो गये। उनका एक तीसरा भाई भी था जो जिन्दा था। जब उस भाई की शादी का दिन आया तो यह दोनों (शहीद) भाई भी उसकी शादी में शामिल होने के लिए आए। यह भाई बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि तुम तो मर चुके थे । तो उन्होने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हमें तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए भेजा है।

चुनांचे उन दोनों (फौतशुदा) भाईयों ने अपने तीसरे भाई का निकाह पढ़ाया और वापस चले गये। (हिकायते रिज़विया—पेज—116)

यानी मरने के बाद दोनों भाई इस दुनिया में आये भाई की शादी में शामिल हुए। निकाह पढ़ाया और वापिस अपनी जगह पर चले गये। यह दलील है इस बात की कि नैक लौग (शहीद) मरने के बाद भी ज़िन्दा होते हैं। और इस दुनिया से उनका नाता खत्म नहीं होता।

अब एक किस्सा और देखिये

14. अबु सईद फराज़ रह० रावी हैं कि मैं मक्का शरीफ में था मैने बाब (दरवाज) बनी शौबा पर एक जवान को मरा पड़ा पाया। जब मैने उस की तरफ नज़र की तो वह मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा। ऐ! अबु सईद क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के प्यारे (मरने के बाद भी) जिन्दा होते हैं। अगरचे बजाहिर मरजाते है वह तो एक घर से दूसरे घर की तरफ लौटते हैं। (मजमूआ रसाईल जिल्द–2 पेज–243)

और सुनिये सय्यद अबु अली रावी है।

15. "मैंने एक फकीर (सूफी) को कब्र में उतारा। कफन खोला और उसका सर ज़मीन पर रख दिया तो फकीर ने आंख खोल ली और मुझ से कहा ऐ! अबु अली तुम मुझे उसके सामने ज़लील करते हो जो मेरे नाज़ उठाता है?

मैंने अर्ज़ कि की ऐ मेरे सरदार क्या मौत के बाद भी आप जिन्दा हैं? तो फकीर ने फरमाया मैं जिन्दा हूं और अल्लाह का हर प्यारा जिन्दा है। बेशक वह इज्जत जो मुझे कयामत के दिन मिलेगी उससे में तेरी मदद करूंगा। (मजमूआ रसाईल जिल्द–2 पेज–243)

हिकायत की सूरत में इसी अक़ीदे की एक ओर दलील।

16. एक मोहतरमा ने मरने के बाद ख्वाब में अपने लड़के से कहा मेरा कफन ऐसा खराब है कि मुझे अपने साथियों में जाते शर्म महसूस होती है। (साबित यह करना चाहते है कि मुर्दे एक–दूसरे से मुलाकात करते हैं) परसों फलाँ शख्स आने वाला है उसके कफन में मेरे लिए अच्छे कपड़े का कफन रख देना। सुबह को उठकर बेटे ने उस शख्स के बारे में मालूमात की तो पता चला कि वह बिल्कुल तन्दुरूस्त है। उसे कोई बीमारी नहीं। तीसरे दिन खबर मिली की उस शख्स का इन्तेकाल हो गया है। बेटे ने फौरन बहुत अच्छा कफन सिलवाकर उसके कफन में रख दिया कि यह मेरी मां को पहुंचा देना। रात को वह नेक औरत फिर बेटे के ख्वाब में आई और कहा अल्लाह तुम्हे जज़ाये खैर

दे। तुमने बहुत अच्छा कफन भेजा। (मलफूज़ात पेज–55)

देखा आपने– बुजुर्गाने दीन और अम्बिया किराम तो क्या यहां तो एक आम औरत भी यह जान रही है कि कौन कब मरने वाला है। और कहां दफन होगा? और देखिये।

17. जौनपुर की एक नेक लड़की का इन्तेकाल हो गया। फिर उसे जौनपुर ही में दफन कर दिया गया। इसी तरह जौनपुर ही का एक गुनाहगार शख्स मदीना में फ़ोत हुआ और मदीना में ही दफन कर दिया गया।

फिर कोई साहब हज करने गये तो देखा कि मदीना में उस गुनाहगार आदमी की कब्र में वह लड़की है और उस लड़की की कब्र में वह गुनाहगार है। (मवाइज़–नईमीया पेज–26) यानी मरने के बाद वोह दोनों एक दूसरे की कब्र में शिफ्ट हो गये। एक की लाश मदीने से जौनपुर के कब्रिस्तान पहुंच गई। और दूसरी लाश जौनपुर से मदीना।

बरेलवी मकतबे फिक्र के पैरोकारों का अकीदा है कि मरने के बाद औलिया ना सिर्फ खुद ज़िन्दा रहते हैं बल्कि दूसरे मुर्दो को भी ज़िन्दा कर सकते हैं।

दलील देखिये

18. "हुजूर गौस पाक रजि. की मजलिसे वआज़ में एक दफा तेज हवा चल रही थी उसी वक्त एक चील चिल्लाती हुई ऊपर से गुज़री जिससे अहले मजलिस का ध्यान बंटा। आप (गौस पाक) ने नज़रे मुबारक उठाकर (ऊपर) देखा तो फौरन वह चील मर गई। उसका सर अलग और धड़ अलग हो गया। वआज़ खत्म करने के बाद हुजूर मुर्दा चील के पास तशरीफ लाये। वह चील वहीं मरी पड़ी थी। आपने एक हाथ में सर उठाया ओर दूसरे हाथ में धड़ फिर दोनों को बिस्मिल्लाह कह कर मिला दिया। चील फौरन उड़ती हुई चली गई।

बरेलवी हज़रात की कुछ हिकायतों में बहुत दिलचस्प लतीफे होते हैं।

ऐसी ही एक हिकायत आप भी पढ़िये

19. दो साहब ओलिया किराम में से एक साहब दरिया के इस किनारे तो दूसरे साहब उस पार रहते थे। उनमे से एक साहब ने अपने घर खीर पकवाई और खादिम (नौकर) से कहा इसे मेरे दोस्त के पास पहुंचा दो। खादिम ने कहा हुजूर रास्ते में दरिया पड़ता है। किस तरह पार पहुंचुंगा। कश्ती वगैरह भी तो नहीं। फरमाया दरिया के किनारे जा और कह में उसके पास से आया हूं जो आज तक अपनी औरत के पास नहीं गया। खादिम हैरान हुआ कि यह क्या पहेली है? इसलिए की हज़रत साहिबे औलाद हैं। बहरहाल हुक्म पूरा करना ज़रूरी था। दरिया पर गया और उसे हजरत का पैगाम पहुंचाया। दरिया ने फौरन रास्ता दे दिया। उसने पार पहुंच कर उस बुजुर्ग की खिदमत में खीर पेश की। उन्होंने खीर खाई और फरमाया– हमारा सलाम अपने मालिक से कह देना। खादिम ने अर्ज किया की सलाम तो तभी कहूंगा जब दरिया के पार पहुंचूंगा। फरमाया दरिया पर जाकर कहो कि में उसके पास से आया हूं जिसने 30 सालों से आज तक कुछ नहीं खाया। नौकर बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो इन्होने खीर खाई है। मगर अदब की वजह से चुप रहा। दरिया किनारे पहुंचकर जैसा हज़रत ने कहा था कह दिया। दरिया ने फिर रास्ता दे दिया। (मलफूज़ात रिज़विया पेज–53)

औलिया किराम की कुदरत पर एक और दलील देखिये

20. हजरत यहया मुनीरी के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे हजरत खिज़्र अलैहि0 जाहिर हुए और कहा अपना हाथ मुझे दे दे ताकि में तुझे बाहर निकालूं। उस मुरीद ने अर्ज की यह हाथ हजरत यहया मुनीरी के हाथ में दे चुका हूं। अब दूसरे को ना दूंगा। हजरत खिज़्र अलैहि. गायब हो गए और यहया मुनीरी जाहिर हुए ओर मुरीद को निकाल लिया। (मलफूजात जिल्द–2 पेज–164)

एक और दिलचस्प हिकायत पढ़िये

21. "हजरत बशर हानी रह. पांव में जूता नहीं पहनते थे। जब तक ज़िन्दा रहे तमाम जानवरों ने रास्ते में लीद व गोबर व पेशाब करना छोड़ दिया ताकि बशर हानी के पांव खराब ना हों। एक दिन किसी ने बाज़ार में लीद पड़ी देखी

तो इन्नालिल्लाही व इन्ना इलैहे राजेऊन पढ़ा। पूछा गया तो कहां कि हानी का इन्तेकाल हो गया। जब तहक़ीक़ की तो यह बात सही निकली। (हिकायते रिजविया पेज–172)

बरेली हजरात के मुताबिक

औलिया अल्लाह अगर चाहें तो कब्र वालों पर से अज़ाब भी हटा सकते हैं। दलील देखिये–

22. एक दफा सय्यदी इस्माईल हदरमी एक कब्रिस्तान में से गुजरे इमाम मोईनुद्दीन भी साथ थे। हजरत इस्माईल सय्यदी ने उनसे फरमाया क्या आप इस पर ईमान लाते हैं कि मुर्दे जिन्दों से बात करते हैं?

अर्ज किया – हाँ यह कब्र वाला मुझसे कह रहा है कि मैं जन्नत वालों में से हूं।

आगे चले 40 कब्रें थीं। आप बहुत देर तक रोते रहे। यहां तक कि धूप चढ़ गई उसके बाद आप हंसे और फरमाया हाँ तू भी उन्ही में से है। लोगों ने यह हाल देखा तो अर्ज किया हजरत यह क्या राज़ है?

हमारी समझ में तो कुछ ना आया। फरमाया इन कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा था। जिसे देखकर में रोता रहा और मैंने शफाअत की अल्लाह तआला ने मेरी शफाअत कुबूल फरमाई और इनसे अज़ाब उठा लिया। एक कब्र कोने में थी जिस की तरफ मेरा ख्याल न गया था तो उसमे से आवाज़ आई ऐ मेरे आका में भी तो इन्ही में से हूँ। मैं फलां गाना गाने वाली डोमनी हूं। मुझे उसके कहने पर हंसी आ गई और मैंने कहा तू भी इन्ही में से है फिर उस पर से भी अजाब उठा लिया गया। (मलफूज़ात अहमद रज़ा पेज–200–201)

अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी एक हिकायात यह नकल करते हैं–

23. "शैख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रह. एक जगह दावत में तशरीफ ले गये। आपने देखा कि एक लड़का खाना खा रहा है। खाना खाते–खाते अचानक रोने लगा। वजह पूछने पर बताया कि मेरी मां को जहन्नम का हुक्म

है और फ़रिश्ते उसे लिये जा रहें है।

हज़रत शैख के पास कलमा तय्यैबा सत्तर हजार दफ़ा पढ़ा हुआ महफूज़ (सुरक्षित) था। आपने उसकी मां को दिल में ईसाले सवाब कर दिया। फौरन वह लड़का हंसा। आपने हंसने की वजह पूछी तो बताया कि हुजूर! मैंने अभी देखा कि फरिश्ते मेरी माँ को जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं।" (मलफूजात अहमद – रजा पेज–82)

यह हैं बरेलवी हजरात के वोह दलाइल जिनका इनकार कुफ्र करने या इसलाम से नाता तोड़ने जैसा है। जो इनका इन्कार करेगा उस पर वहाबी काफिर का फ़तवा लगा दिया जायेगा। और सितम पर सितम यह है कि बरेलवी हजरात इन हिकायात व किस्सों के ज़रिये न सिर्फ यह कि लोगों को खुद साख्ता बुजुर्गाने दीन का गुलाम बनाना चाहते हैं। बल्कि मख़लूक़ को खालिक़ (अल्लाह) से दूर करने के लिए ये तास्सुर भी देना चाहते हैं कि अल्लाह के सारे इख्तियारात व तसर्रूफात इन औलिया के हवाले कर दिये गये हैं। अब फरियाद रसी और हाजत खाई सिर्फ औलिया ही से की जाए। कायनात के रब से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ लेना है बुजुर्गो से ले लिया जाए। जो मांगना है उनसे मांगा जाए।औलिया ही मदद करने और फरियाद रसी करने वाले हैं। जैसे अल्लाह तआला सारे इख्तियारात इनके हवाले करके मआज़अल्लाह रिटायर्ड हो चुके हैं? अल्लाह तक किसी की रसाई मुमकिन भी नहीं और उससे मांगने की किसी को ज़रूरत भी नहीं।

जनाब खान साहब बरेलवी फरमाते है

24. "एक दफा हजरत सय्यदी जुनैद बगदादी रह. दरिया ए दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर ज़मीन की तरह चलने लगे। बाद में एक शख्स आया। उसे भी पार जाना था। कोई कश्ती उस वक्त मौजूद न थी। उसने जब हजरत जुनैद को इस तरह जाते हुए देखा तो अर्ज की कि मैं किस तरह आऊं?

फरमाया – या जुनैद या जुनैद कहता हुआ चला आ।

उसने यही कहा और दरिया ए दजला पर जमीन की तरह चलने लगा। जब दरिया के बीच में पहुंचा तो शैतान मरदूद ने दिल में वसवसा डाला कि हज़रत खुद तो या अल्लाह कहें और मुझ से या जुनैद कहलवा रहें हैं। मैं भी या अल्लाह क्यों न कहूं। उसने या अल्लाह कहा और साथ ही गोता खाया यानि डूबने लगा तो पुकारा कि हजरत में चला।

हज़रत ने फरमाया – वही कह या जुनैद या जुनैद।

जब यह कहा तो दरिया से पार हुआ। अर्ज की

हज़रत! यह क्या बात है कि आप अल्लाह कहें तो पार हों और मैं कहूं तो डूबने लगू। फरमाया– अरे नादान! तू अभी जुनैद तक तो पहुंचा नहीं और अल्लाह तक पहुंचने की हवस है।" (हिकायते रिज़विया–पेज–52–53) मतलब यह हुआ कि आम लोग अपने पीरों और बुजुर्गो को ही पुकारे। क्योंकि बरेलवियत के नज़रिये के मुताबिक अल्लाह तक उनकी पहुंच मुमकिन नहीं। जबकि अल्लाह तआला फरमाता है– "जब (ऐ नबी सल्ल0) तुझ से मेरे बन्दे मेरे बारे में सवाल करें तो फरमा दीजिए कि मैं उनके करीब हूँ। जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी आवाज़ सुनता हूं और कुबूल करता हू।" (बक़रा–आयत–186) और यह कि "हम इन्सान की शहरग से ज्यादा करीब हैं।" (काफ़–आयत–16)

बहरहाल बरेलवी हजरात इन हिकायात से जो कुछ साबित करना चाहते हैं। कुरआने करीम की आयात उनकी मुखालिफत करती हैं। हम एक और हिकायत बयान करके इस मौज़ूअ को खत्म करते हैं।

जनाब खान साहब बरेलवी इर्शाद फरमाते है–

25. "एक साहब पीरे कामिल की तलाश में थे। बहुत कोशिश की पर पीरे कामिल नहीं मिला मगर तलब सच्ची थी। जब काफी कोशिशों के बाद भी कोई पीर नहीं मिला तो मजबूर हो कर एक रात अर्ज किया कि ऐ रब! तेरी इज्जत की कसम! आज सुबह की नमाज़ से पहले जो भी शख्स मिलेगा मैं उससे बैअत कर लूंगा। सुबह की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे कि रास्ते में सबसे पहले एक चोर मिला। उन्होने हाथ पकड़ लिया कि हजरत बैअत लीजिए। वह

हैरान हुआ। बहुत इन्कार किया मगर आप न माने। आखिर उसने मजबूर हो कर कह दिया कि जनाब मैं चोर हूँ। यह देखिए चोरी का माल मेरे पास मौजूद है। आपने कहा कि मेरा तो मेरे रब से वादा है कि आज सुबह की नमाज़ से पहले जो शख्स मुझ से मिलेगा। मैं उससे बेअत कर लूंगा। इतने में हज़रत खिज़्र अलैहि0 तशरीफ लाए ओर उस चोर को मरातिब दिये। तमाम मकामात फौरन तय कर लिये। उसे वली किया और उससे बैअत ली।" (हिकायते रिज़विया–पेज–71–72)

ये हैं बरेलवी हिकायात। इन हिकायात से बरेलवी हज़रात वह साबित करना चाहते हैं जिनका नामो निशान किताबों सुन्नत में मौजूद नहीं है। कुरआनी आयात और नबी सल्ल0 की अहादीस के मुकाबले में वो इन्हें दलाइल के तौर पर पेश करते हैं।

सच फरमाया अल्लाह तआला ने कि "यह है इनके इल्म की हद। बेशक तेरा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके सीधे रास्ते से भटके हुए हैं ओर उनसे भी बखूबी वाकिफ है जो हिदायत पाये हुए हैं।" (फुरकान–आयत–44) और यह कि "ऐ मेरे नबी सल्ल0 क्या तू यह समझता है कि लोगों की अक्सरियत सुनती और समझती है? नहीं उनका हाल तो जानवरों के जैसा है बल्कि यह उनसे भी गये गुज़रे हैं।" (नज्म–आयत–30)

अल्लाह तआला हम सभी को हिदायत अता फरमाए और गुमराही से दूर करे।

वा आखिरो दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन।

अल–हिदाया के एक सौ मसाइल जो कुरआन व हदीस के खिलाफ हैं।

फ़िक़्ह के गन्दे मसाइल

अज़
मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी

मराजेअ व हवाशी
मौलाना हाफिज़ अबू सुहैल अन्सारी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअ़द!

दीने इस्लाम जो दुनिया भर की खूबियों का मजमूआ है। जिसने अपनी फितरी व कुदरती खूबियों की वजह से दुनिया को बहुम थोड़े से अर्से में अपना हल्का बगोश बना लिया। दुनिया में हर तरफ अपनी हर दिल अजीज़ी और हक़्कानियत का सिक्का जमा दिया तो दुनिया के सारे मज़ाहिब ने इस एक दीन पर अचानक धावा बोल दिया। लेकिन इसकी सच्चाई की ताकत ने सब के पांव उखाड़ दिये। इसकी अच्छी बातों ने लोगों को अपनी तरफ माइल किया। जो एक बार भी इसके करीब आया वह उम्र भर इसका कलमा पढ़ता ही नज़र आया। लेकिन जैसे–जैसे वक़्त गुजरता गया। यह साफ कपड़ा मैला होता गया और इसका पाक नशा उतरता गया। हालांकि आज भी इस्लाम अपनी उन्हीं खूबियों के साथ है। लेकिन हम हरगिज़ यह दावा नहीं कर सकते कि मुसलमान भी उसी पुराने तरीके पर हैं।

इस्लाम की तालीम तो यह थी कि अल्लाह की मानो और उसके रसूल सल्ल. की मानो। लेकिन हमने इस 'मन व सल्वा' पर सब्र न करके बनी इस्राईल की तरह एक तीसरी चीज़ यानि 'कयासे इमाम' भी निकाल ली और उस पर इस सख्ती से जम गये कि गुजरते वक्त के साथ वही असल मानी जाने लगी। नतीजा यह हुआ कि असल (जड़) को फरअ (शाख) का दर्जा दे दिया गया। आज आम मुसलमानों की यह हालत नजर आती है अगर उन्हें किसी मसले को जानने या पूछने की जरुरत हुई और जवाबन किसी आलिम ने यह कहा कि इस बारे में कुरआन व हदीस का यह हुक्म है तो उन्हें तसल्ली नही होती। वह फौरन पलट कर

कहते हैं कि मौलवी साहब यह बतलाइये कि हनफ़ी मज़हब में इस मसअले के बारे में क्या फत्वा (फैसला) है? आज जो लोग मसनदे दर्स पर बैठे हैं, मुदर्रिस, आलिम व मुफ़्ती के नाम से मशहूर हैं, मुसन्निफ और मौलवी हैं। उनकी हालत यह है कि अगर वो फत्वा लिखेंगें तो तेरे और मेरे कौल से, मसअला बतायेंगें तो ज़ैद व बकर के नाम से, तालीम देंगें तो इधर–उधर के कयासत की, पैरवी करेंगें तो उम्मतियों की। नाम लेवा हैं तो नीचे ही नीचे के, मुझे माफ किया जाए–मगर।

सच तो यह है कि हमारे अस्लाफ़ (सहाबा व ताबईन) का इस्लाम और था और हमारा और है। अगर वो कामिल मुसलमान थे तो ज़रुर हमारे इस्लाम में कमी है और अगर हम बावजूद इन तरीकों के कामिल मुसलमान हैं तो वो यकीनन इस्लाम से बहुत दूर थे। हमारे ज़माने में सिर्फ कुरआन व हदीस का नाम रह गया है। अमल के लिए अलग चीज़ है और तबर्रुक के लिए दूसरी चीज़। इसलिए कि मसअला देखना हो तो 'हिदाया और शरह वकाया' के औराक पलटे जाएं और तबर्रुक हासिल करना हो तो 'बुखारी व मुस्लिम शरीफ' की भी ज़ियारत कर ली जाए। फत्वा लिखना हो तो 'कन्ज व कुदूरी' की जरुरत पड़े और खत्म पढ़ना हो तो कुरआन ख्वानी भी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्ल. की हदीस न मानी जाए तो दिल न दुखे लेकिन फिक्ह के किसी मसअले को कोई टाल दे तो कयामत आ जाए। अगर सुन्नते रसूल सल्ल. को छोड़ा जाए तो कुछ हरज नहीं लेकिन तकलीद के छोड़ने को इस्लाम छोड़ना समझा जाए। अगर अल्लाह के रसूल सल्ल. की तरफ से निसबत हट जाए तो परवाह नहीं लेकिन इमामों की तरफ से निसबत का हटाना कुफ्र समझा जाए। मुहम्मदी न कहलवाओ तो कोई बात नहीं मगर हनफी–शाफई कहलाना ज़रुरी।

इस्लाम का तकाज़ा तो यह था कि आप सल्ल. के हर कौल व फेअल को मज़बूती से थाम लिया जाता। मगर हमने अपने लिए अलग–अलग मज़हब कायम कर लिया। इन चार मज़ाहिब की शाखों ने हमें शाहराहे

मुहम्मदी से दूर ढकेल दिया। हम सख्ती के साथ इमामों की नहीं बल्कि एक ही इमाम के अक्वाल पर जम गये और अपनी निसबत भी उनकी तरफ कर ली। इमाम की हर बात आंखे बन्द करके मान लेना अपना वज़ीफा कर लिया, तरीका बना लिया। इस ज़हरीली हवा ने दिल व दिमाग पर कुछ इस तरह कब्जा किया कि आज कुरआन व हदीस पर अमल करने वाले, मुहम्मद सल्ल. के नाम लेवा बेदीन और ला मजहब कहे जाने लगे। इतने पर ही बस नही किया गया बल्कि इन लोगों के ज़िम्मे बुहतान बांधने, झूठ बोलने और तोहमतें धरने में भी कोई कसर न छोड़ी गई। कहीं से कोई किताब छपती है, कहीं से इश्तिहार निकलता है। कहीं अखबारात के कॉलम काले किये जाते हैं कि ये ऐसे और ऐसे हैं। कभी नवाब साहब रह. की किताबों से हमें इल्जाम दिया जाता है तो कभी हजरत मियां नजीर हुसैन दहलवी साहब रह. तो कभी इमाम शौकानी रह. और अब्दुल वहाब नजदी रह. की किताबों से हम पर तअन किया जाता है। काश वो इतना तो सोचते कि जब हम इन्हें गैर मुकल्लिद कहते हैं तो इसकी उसकी किताबो से तो इन्हें इल्जाम न दें। याद रखिये हम अहले हदीस मुहम्मदियों का मज़हब कुरआन व हदीस है। जो इल्जाम कुरआन की आयात और सही अहादीसे रसूल सल्ल. पर हो, वह इल्जाम हम पर है और जो इल्जाम उनके सिवा किसी और की बात पर हो। वह इल्जाम जमाअते अहले हदीस पर नहीं।

मेरा इरादा है कि मैं आपको बतौर नमूने के फिक्ह हनफी की भरोसेमन्द किताबों में से सिर्फ एक किताब "हिदाया" के कुछ मसाइल बताऊँ। चाहे उस किताब को आप इस्लामी किताब मानते हों, कुरआन व हदीस का निचौड़ कहते हों या हनफी मज़हब की जान समझते हों। लेकिन–

मेरा ख्याल है कि आगे बयान करदा मसाइल को देखकर आपकी तबीयत में नफरत, दिल में कड़वाहट, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में लाली और दिमाग में चक्कर आने लगेंगें। इन्शाअल्लाह आपको यह यकीन हो

जायेगा कि अहले हदीस हक पर हैं। इसलिए कि उन्होंनें कुरआन व सही हदीस के अलावा किसी भी और की बात का मानना अपने लिए ज़रुरी करार नही दिया। मुझे यह भी ख्याल है आपके दिल में यह ख्याल आएगा कि ये हवाले गलत होंगें तो इस बारे में इतना लिखना काफी होगा कि अगर एक हवाला भी गलत हो या एक मसअला भी इस किताब (हिदाया) में न हो तो एक सौ रुपया इनाम...... ।

आइये हनफी मज़हब की सबसे आला किताब हिदाया शरीफ के कुछ अनमोल व बेमिसाल मसाइल देखिये–

यह वह किताब है जो दर्स व तदरीस में दाखिल है। हनफी मज़हब का बुनियादी पत्थर है। जिनके बारे में कहा जाता है – "हिदाया कुरआन की तरह है। जिस तरह कुरआन ने पिछली सभी आसमानी किताबों को मन्सूख कर दिया। उसी तरह हिदाया ने पिछली सभी फिक्ही किताबों को।" (मुक़दमा–हिदाया–पेज–3–जिल्द–1)

मसाइले–हिदाया

(1) अगर रुकूअ व सज्दे वाली नमाज़ में खिलखिला कर हंस पड़ा तो वुज़ू टूट जाएगा। लेकिन नमाज़े जनाज़ा में या सज्दा ए तिलावत में खिलखिला कर हंसने से वुज़ू नहीं टूटेगा। (हिदाया–जिल्द–1 –पेज–26)

(2) चौपाए के साथ बुरा काम करने या शर्मगाह के अलावा और जगह. .... से जब तक इन्ज़ाल (वीर्य पतन) न हो, गुस्ल वाजिब नहीं। (जिल्द 1 पेज 31)

(3) इन्सान और खिन्ज़ीर (सूअर) के सिवा जिस भी जानवर के चमड़े को दबागत दी जाए, वह पाक हो जाता है। (यानि– कुत्ते, भेड़िये, गधे और सभी दरिन्दों की खालें दबागत के बाद पाक हैं) (जिल्द 1 पेज 40)

(4) कुत्ते, भेड़िये, गधे वगैरह की दबागत दी हुई खाल को पहन कर नमाज़ पढ़ी जा सकती है और उनकी खालों के ढ़ोल बनाकर उनमें पानी भर कर वुज़ू करना भी जाइज़ है। (जिल्द 1 पेज 40)

(5) कुत्ता नजसुल ऐन नहीं। (जिल्द 1 पेज 40)

(6) इन जानवरों (कुत्ते, भेड़िये, गधे वगैरह) की खालें बल्कि गोश्त भी ज़िब्ह करने से पाक हो जाता है। (जिल्द 1 पेज 41)

(7) खजूर की शराब से वुज़ू करना जाइज़ है। खजूर की शराब पीना भी हलाल है। यही इमाम अबु हनीफा का फत्वा है। (जिल्द 1 पेज 48)

(8) पत्थर, गच, चूने और सुरमे से तयम्मुम किया जा सकता है। इमाम साहब का यही कहना है और इमाम मुहम्मद रह. भी उनके हम ख्याल हैं।

(जिल्द 1 पेज 51)

(9) कोई शख्स ईदगाह पहुँचा और देखा कि नमाज़ हो रही है। उसे डर हुआ कि जब तक मैं वुजू करुँगा नमाज़ खत्म हो जाएगी। तो तयम्मुम करके नमाज़ में शामिल हो जाए। (जिल्द 1 पेज 54)

(10) गलीज़ नजासत जैसे नापाक खून, पेशाब, शराब, मुर्गे की बीट और गधे का पेशाब वगैरह कपड़े पर या जिस्म पर एक दिरहम के बराबर लगा हो तो भी नमाज़ हो जाएगी। (दिरहम से मुराद हथेली की चौड़ाई के बराबर है)। (जिल्द 1 पेज 74)

(11) अगर नजासत मामूली हो और उससे कपड़ा नजस (पलीद) हो गया हो। अगर एक चौथाई हिस्से से कम हो तो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। इमाम अबु हनीफा रह. का यही मसलक है। (जिल्द 1 पेज 75)

(12) अगर हराम परिन्दों की बीट कपड़े पर हथेली की चौड़ाई से भी ज्यादा लगी हो, फिर भी नमाज़ हो जाएगी। इमाम अबु हनीफा रह. का यही कौल है और इमाम अबु युसुफ रह. भी उनके हम ख्याल हैं। (जिल्द 1 पेज 77)

(13) एक शख्स अरबी में अच्छी तरह पढ़ सकता है। इसके बावजूद फ़ारसी में कुरआन के मअनी (तरजुमा) पढ़ता है। कुरआन नमाज़ में नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर के बदले भी उसका तरजुमा फारसी में पढ़ देता है तो उसकी नमाज़ जाइज़ है। इमाम साहब रह. का यही फतवा है।

इमाम साहब यह भी फरमाते हैं कि अगर 'बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर' न कहे और फारसी में अल्लाह का नाम लेकर जानवर जिब्ह कर ले तो भी जाइज है। बल्कि आगे यह लिखा है कि फारसी की भी कोई कैद नहीं। (यानि जिस जुबान में चाहे तरजुमा पढ़ ले) (जिल्द 1 पेज

101,102)

(14) इमाम अबु हनीफा रह. फरमाते हैं कि हर रकअत में 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' सूरह फातेहा से पहले न पढ़ें। बल्कि सिर्फ पहली रकअत में पढ़े। (जिल्द 1 पेज 104)

(15) सूरह फातेहा पढ़ ली। फिर दूसरी सूरत नमाज़ में पढ़े तो उससे पहले बिस्मिल्लाह न पढ़े। (जिल्द 1 पेज 104)

(16) रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना फर्ज़ (ज़रुरी) नहीं। (जिल्द 1 पेज 106)

(17) दोनों सज्दों के बीच बैठना भी फर्ज़ नहीं। (जिल्द 1 पेज 106)

(18) रुकूअ और सज्दा भी इत्मीनान से करना ज़रुरी नहीं। इमाम साहब रह. का यही इज्तेहाद है। (जिल्द 1 पेज 106)

(19) अगर सज्दे में सिर्फ नाक ज़मीन पर टिकाई और पेशानी (माथा) न लगाई या पेशानी टिकाई और नाक नहीं लगाई तो भी जाइज़ है। (जिल्द 1 पेज 108)

(20) अन्धे शख्स को इमाम बनाना मकरुह है। (जिल्द 1 पेज 122)

(21) जानबूझ कर तशहहुद (अत्तहियात) के बाद गोज़ मार दे यानि रियाह खारिज कर दे या बातचीत कर ले तो उसकी नमाज़ पूरी हो जाएगी। (जिल्द 1 पेज 130)

(22) किसी गरीब मिसकीन शख्स को ज़कात के माल में से दो सौ दिरहम यानि पचास रुपये या उससे ज़्यादा देना मकरुह है। (जिल्द 1 पेज 207)

(23) मुश्तज़नी (हस्तमैथुन) करने वाले का रोज़ा नहीं टूटता। हनफी मज़हब के फुक़हा (उलमा) ने यही कहा है।

(जिल्द 1 पेज 217)

(24) पाखाने की जगह में वती (सम्भोग) करने से कफ्फारा वाजिब नहीं होता। इमाम अबु हनीफा रह. का यही फत्वा है। (जिल्द 1 पेज 219)

(25) मुर्दा औरत से या चौपाए से बुरा काम (सम्भोग) करने से रोज़े का कफ्फारा नहीं आता। इन्ज़ाल (वीर्य पतन) न हुआ हो तब भी और इन्ज़ाल हो गया हो तब भी। (जिल्द 1 पेज 219)

(26) शर्मगाह (यौनि) के अलावा किसी और जगह जमाअ (सम्भोग) किया और इन्ज़ाल भी हो गया। फिर भी रोज़े का कफ्फारा लाज़िम नही आएगा। (जिल्द 1 पेज 220)

(27) कुर्बानी के जानवर का इशआर करना (यानि उसके – कोहान पर निशान कर देना जो सुन्नत है) मकरुह है। बल्कि यह मुसला करना है (यानि शरीर के अंगो को काट देना)। इमाम अबु हनीफा रह. की यही राय है। (जिल्द 1 पेज 262)

(28) किसी मर्द ने किसी गैर औरत को शहवत (कामुकता) के साथ छू लिया या उसकी शर्मगाह (यौनि) को देख लिया या उस औरत ने उस मर्द की शर्मगाह (लिंग) को शहवत की नज़र से देख लिया तो उस औरत की माँ व बेटी उस मर्द पर हराम हो गई। (यानि उनसे निकाह नहीं कर सकता) (जिल्द 2 पेज 309)

(29) अगर छूने से इन्ज़ाल हो जाए तो हुरमत साबित नहीं होगी। इसी तरह अगर खिलाफे फितरत अमल किया यानि उस औरत से पाखाने की जगह वती की तो भी हुरमत साबित न होगी। यानि–सिर्फ छू लेने से हुरमत साबित लेकिन अगर इतना मसास किया (सहलाया) कि इन्जाल हो गया तो हुरमत ज़ाइल।

(मतलब यह कि सिर्फ देख लेने से हुरमत मौजूद लेकिन शर्मनाक बदअमली से हुरमत नहीं)। (जिल्द 2 पेज 309)

(30) एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाके बाइन दी या रजई (रुजअत वाली) तलाक दी तो जब तक औरत की इद्दत न गुज़र जाए वह मर्द उस औरत की बहन से निकाह नहीं कर सकता। (औरत की तो इद्दत सुनी थी। यहां मर्द से भी इद्दत कराई जा रही है।) (जिल्द 2 पेज 309)

(31) किसी औरत को ज़िना करते हुए देखा और उससे निकाह कर लिया। तो उससे मिलाप (सम्भोग) करना (अबू हनीफा रह. और अबु युसुफ रह. के नज़दीक) जाइज़ है। कोई ज़रुरत नहीं की एक हैज़ (मासिक धर्म) तक ठहरें। (जिल्द 2 पेज 312)

(32) किसी औरत ने क़िसी मर्द पर झूठा दावा किया कि उससे निकाह किया है और झूठे गवाह पेश कर दिये। काज़ी ने उस पर फैसला कर दिया। हालांकि हकीकत में निकाह नहीं हुआ था। तो अब दोनों को एक साथ रहना–सहना मुजामेअत और सोहबत (आलिंगन व सम्भोग) करना सब जाइज़ है। इमाम अबू हनीफा रह. का यही फत्वा है। (जिल्द 2 पेज 312)

(33) जिम्मी (वह शख्स जो किसी इस्लामी हुकूमत के अधीन इस्लाम के सिवा किसी और धर्म का पालन करते हुए रहता है) मर्द ने जिम्मी औरत से निकाह किया और मैहर में शराब या सूअर देना तय किया। फिर वो दोनों मुसलमान हो गये तो भी मेहर में शराब या सूअर अदा कर दें और अगर दोंनो में से एक मुसलमान हुआ हो तो भी यही हुक्म है। (जिल्द 2 पेज 338)

(34) ज़ानी (विवाहित ब्लातकारी) को संगसार (पत्थरो से तब तक मारना जब तक वह मर न जाए) करने के वक्त पहले गवाह पत्थर मारना शुरु करें। अगर वो ऐसा न करें तो हद (सज़ा) नहीं दी जाएगी। (जिल्द 2 पेज 509)

(35) जो शख्स अपने बाप की या अपनी मां की या अपनी बीवी की लौंडी (कनीज़) से ज़िना (ब्लातकार) करे और यह कह दे मैंने समझा था

कि यह मेरे लिए हलाल है तो उसे सज़ा नही दी जाएगी। (जिल्द 2 पेज 514)

(36) किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दीं। फिर इद्दत में उसके साथ ज़िना किया। या तलाक बाइन माल लेकर दे दी। फिर इद्दत में ज़िना किया और उम वलद लौंडी को आज़ाद कर दिया और इद्दत में उससे ज़िना किया या गुलाम ने अपने मालिक की लौंडी से ज़िना किया। अगर ये लोग कह दें कि हमने हलाल (जाइज़) समझा था– तो उनमें से किसी को सज़ा नहीं। (जिल्द 2 पेज 514)

(37) किसी के पास दूसरे की लौंडी रेहन (गिरवी रखना) हो और वह उससे बुरा काम करे तो उस पर भी कोई हद नहीं। (चाहे वह कहे कि मैं इसे हलाल समझता था या कहे कि मैं इसे हराम जानता था।) (जिल्द 2 पेज 515)

(38) अगर कोई शख्स अपनी औलाद या औलाद की औलाद की लौंडी से ज़िना करे। अगरचे वह जानता हो कि यह उस पर हराम है तब भी उसे सज़ा न दी जाए। (जिल्द 2 पेज 515)

(39) जो शख्स उन औरतों में से किसी से निकाह करे। जिनसे निकाह हराम है (जैसे–माँ, बहन, बेटी वगैरह) तो उस पर हद नहीं। यही अबू हनीफा रह. का फत्वा है। (जिल्द 2 पेज 516)

(40) जो शख्स किसी औरत या मर्द की पीछे (पाखाने) की जगह बुरा काम करे तो उसको सज़ा नहीं। इमाम अबु हनीफा रह. का यही फरमान है। (जिल्द 2 पेज 516)

(41) जो शख्स गैर मुस्लिम हुकूमत में या बागियों की हुकूमत के इलाके में ज़िना करे फिर इस्लामी हुकूमत के इलाके में आ जाए तो उस पर ज़िना की कोई सज़ा नहीं। (जिल्द 2 पेज 517)

(42) जो शख्स चौपाए से बुरा काम करे। उस पर कोई हद (सज़ा) नहीं। (जिल्द 2 पेज 517)

(43) अगर कोई औरत अपनी मर्ज़ी से किसी बेवकूफ (दीवाने) या नाबालिग लड़के के साथ ज़िना कराए तो उस औरत पर कोई हद नहीं और न उस बेअक्ल और लड़के पर कोई हद है। (जिल्द 2 पेज 518)

(44) खुद मुख्तार आज़ाद हाकिम (बादशाह) जो भी गलत काम करे (जैसे–चोरी, ज़िनाकारी या शराब का पीना वगैरह) तो उस पर कोई हद नहीं। हां अगर किसी को कत्ल कर डाले तो उस पर क़सास है। (जिल्द 2 पेज 520)

(45) किसी चोर की चोरी, शराबी की शराबखोरी, ज़ानी की ज़िनाकारी की गवाहों ने वाकिये के कुछ दिनों बाद गवाही दी तो उस मुजरिम को न पकड़ा जाए और न सज़ा दी जाए। (कुछ दिनो बाद से मुराद एक महीने बाद है) (जिल्द 2 पेज 520)

(46) अगर गवाहो ने गवाही ज़िना की दी। लेकिन उस औरत को वे पहचानते न थे तो उसे हद न लगाई जाए। चाहे मर्द को पहचानते भी हों। (जिल्द 2 पेज 521)

(47) एक ज़ानी के ज़िना पर चार गवाह हैं। उनमें से दो कहते हैं कि औरत राज़ी न थी और दो गवाह कहते हैं कि औरत की भी मर्ज़ी थी। ऐसी हालत में न औरत को हद लगाई जाएगी न मर्द को। इमाम साहब और उनके शागिर्द इमाम ज़फर रह. का यही फत्वा है। (जिल्द 2 पेज 521)

(48) किसी शराबी ने अपने शराब पीने का इकरार किया। लेकिन उस वक्त उसके मुंह की बदबू चली गई है तो उसके इकरार करने के बावजूद उसे हद नहीं लगाई जाएगी। (जिल्द 2 पेज 527)

(49) किसी ने शराब पी ली। जब उसके मुंह की बदबू चली गई तो

गवाहों के गवाही देने के बावजूद उस पर हद नहीं लगाई जाएगी। (जिल्द 2 पेज 527)

(50) जो नशा लाने वाली मुबाह (जायज़) चीज़ें हैं। उनके इस्तेमाल से अगर नशा आए तो हद नहीं। जैसे भंग का पीना। (जिल्द 2 पेजा 528)

(51) सूखी लकड़ियां, घास, बांस, मछली और परिन्दे जैसे मुर्ग, बतख, कबूतर वगैरह। इसी तरह लाल मिट्टी, कलई और चूना वगैरह का जो चोर हो। उसके हाथ नहीं काटे जाऐंगें। (जिल्द 2 पेज 539)

(52) उन चीज़ों के चुराने पर भी हाथ नहीं काटे जाएगें जो जल्दी खराब हो जाती हैं जैसे– दूध, गोश्त और तर मेवे। (जिल्द 2 पेज 539)

(53) नशा वाली पीने की चीज़ों के चुराने से भी हाथ नहीं काटा जाता। (जिल्द 2 सफा 539)

(54) तम्बूरा वगैरह बाजे–गाजे चुराने से भी हाथ नही कट सकता। (जिल्द 2 पेज 540)

(55) कुरआन शरीफ के चोर के हाथ नहीं काटे जाएगें। चाहे कुरआन सोने के काम वाला हो। (जिल्द 2 पेज 540)

(56) खाना ए काबा मस्जिदे हराम के दरवाज़े अगर कोई चोर चुरा ले जाए तो उसके भी हाथ नही काटे जाएगें। (जिल्द 2 सफा 540)

(57) सोने की सलीब और पांसे चुराने वाले के हाथ नही काटना चाहिये। (जिल्द 2 पेज 540)

(58) अगर कोई शख्स किसी छोटे बच्चे को चुराकर ले जाए और वह बच्चा ज़ेवर भी पहने हुऐ हो तो भी हाथ नहीं काटा जाएगा। (जिल्द 2 पेज 540)

(59) बड़ी उम्र का गुलाम चुराया जाए तो भी हाथ नहीं काटा जाएगा।

(जिल्द 2 पेज 540)

(60) कुत्ते और चीते के चोर पर हाथ काटना नहीं। (जिल्द 2 पेज 540)

(61) तबला, ढ़पर, बरबत और दूसरी तरह के बाजों के चोर के हाथ नहीं काटे जाएगें। (जिल्द 2 पेज 540)

(62) कफन चोर का हाथ भी नहीं काटना चाहिये। (जिल्द 2 पेज 541)

(63) किसी शख्स ने एक चीज़ चुराई तो उसका हाथ काटा गया और वह चीज़ मालिक के पास पहुंच गई। उसी चोर ने दुबारा फिर उसी चीज़ को चुरा लिया तो अब उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। (जिल्द 2 पेज 543)

(64) जो शख्स अपने मां–बाप या औलाद या किसी और ज़ीमोहरम (जिनसे निकाह जाइज़ नहीं है) रिश्तेदार की चोरी करे तो उसका हाथ भी नहीं काटा जाएगा। (जिल्द 2 पेज 543)

(65) अगर किसी गैर शख्स की कोई चीज़ अपने ज़ी मेहरम रिश्तेदार के घर से चुरा ले। तब भी उस पर हद नहीं। (जिल्द 2 पेज 543)

(66) हमाम में से या ऐसे घर में से जिसमें उसे जाने की इजाज़त हो कोई चीज़ चुरा लाए तो उस पर भी हद नहीं। (जिल्द 2 पेज 545)

(67) मेहमान अपने मेज़बान के घर में से कोई चोरी करे तो उस पर भी हद नहीं यानि उसका हाथ भी न काटा जाए। (जिल्द 2 पेज 545)

(68) चोर नक़ब लगाकर किसी के घर में घुसा और वहां से माल ले–ले कर किसी दूसरे चोर (साथी) को दे दिया जो घर के बाहर खड़ा था। तो दोनों के हाथ न काटें जाएं। (जिल्द 2 पेज 545)

(69) अगर इसी तरह माल गधे (सवारी) पर लाद लिया और उसे हंका लाया तो भी हाथ नहीं काटा जाएगा। (जिल्द 2 पेज 546)

(70) चोर ने अगर नकब लगाकर और उसमें से हाथ बढ़ाकर चोरी की तो हाथ न काटना चाहिये। (जिल्द 2 पेज 546)

(71) एक चोर ने चोरी की और दो गवाहो ने गवाही भी दे दी लेकिन बिला दलील झूट–मूट उस चोर ने कह दिया कि यह मेरा माल है तो भी उसका हाथ न काटना चाहिये। (जिल्द 2 पेज 551)

(72) एक शख्स ने कई चोरियां की मगर एक में वह पकड़ा गया और उसका हाथ काटा गया तो अब सब चोरियों के माल (चीजो़) का वह ज़िम्मेदार नहीं। यानि चोरी की हुई चीज़ों का वापिस करना उसके ज़िम्मे नहीं। इमाम साहब की यही राय है और न दुबारा उस पर कोई सज़ा है। (जिल्द 2 पेज 553)

(73) अगर किसी चोर ने बकरी चुराई लेकिन वहीं उसे ज़िब्ह कर डाला। फिर निकाल ले गया तो उसका हाथ भी नहीं काटना चाहिये। (जिल्द 2 पेज 554)

(74) अगर किसी चोर ने कपड़ा चुराया और उसे लाल रंग से रंग लिया तो हाथ काटा जाएगा लेकिन कपड़ा चोर का ही हो गया। न वापिस लिया जाए न उसकी कीमत उससे ली जाए। इमाम साहब रह. की यह फिक्ह है और काज़ी अबू युसुफ रह. का भी यही फैसला है। (जिल्द 2 पेज 554)

(75) अगर ज़म्मी काफिर जिज़या देने से इन्कार कर दे या किसी मुसलमान को क़त्ल कर डाले या नबी सल्ल. को गालियां दे या किसी मुस्लिम औरत से ज़िना करे तब भी उसका ज़िम्मा नहीं टूटता। (जिल्द 2 पेज 598)

(76) सूअर के बालों से मोज़ा गांठना जाइज़ है। (जिल्द 3 पेज 55)

(77) अगर सूअर के बाल थोड़े से पानी में गिर जाएं तो इमाम मुहम्मद रह. के नज़दीक वह पानी नापाक नही होता। इसलिए कि जब उन बालों

से फायदा उठाना जाइज़ है तो यह दलील है उसकी पाकीज़गी पर। (जिल्द 3 पेज 55)

(78) मुसलमान किसी ईसाई से कहे कि मेरी शराब बेच दे या मुझे शराब खरीद दे तो इमाम साहब के नज़दीक जाइज़ है। (जिल्द 3 पेज 58)

(79) मालिक अपने गुलाम से सूद (ब्याज) ले सकता है। क्योंकि मालिक और गुलाम के बीच कोई सूद नहीं। (जिल्द 3 पेज 86)

(80) मुसलमान और हरबी काफिर (गैर इस्लामी मुल्क का गैर मुस्लिम) में गैर मुस्लिम हुकूमत में कोई सूद नहीं यानि गैर मुस्लिम हुकूमत में मुसलमान वहां के रहने वाले गैर मुस्लिमों से ब्याज (सूद) ले सकता है। (जिल्द 3 पेज 86)

(81) गैर मुस्लिम का माल गैर मुस्लिम हुकूमत में मुसलमानो पर हलाल है। जिस तरह चाहे ले लें। वह माल मुबाह (जाइज़) ही रहेगा। (चाहे चोरी करके, चाहे डाका डाल के, चाहे लूट–मार करके या चाहे किसी ओर तरह से) (जिल्द 3 पेज 86)

(82) कुत्ते, चीते और दरिन्दों (जानवरों) की खरीद व फरोख्त जाइज़ है। चाहे वो सगे (पाले) हुए हों, शिकारी हों या गैर शिकारी। (जिल्द 3 पेज 101)

(83) नाबीना (अंधे) आदमी की गवाही मरदूद (रद्द) है। (जिल्द 3 पेज 160)

(84) अगर किसी शख्स ने गवाही दी। उसके बाद वह अंधा हो गया तो उसकी गवाही पर फैसला करना मना है। इमाम साहब रह. और इमाम मुहम्मद रह. की राय यही है। (जिल्द 3 पेज 161)

(85) कोई शख़्स किसी मुसलमान के बरबत, तबले, बाजे या ढ़ोल को तोड़ डाले या किसी मुसलमान की शराब बहा दे तो उसे कीमत अदा करना पड़ेगी। इमाम साहब रह. की यही राय है। (जिल्द 3 पेज 388)

(86) मज़ामीर, तबला, दफ़ और नशा आवर चीज़ को बेचना–खरीदना भी जाइज़ है। इमाम साहब का यही मज़हब है। (जिल्द 3 पेज 388)

(87) अगर किसी शख़्स ने दूसरे शख़्स की ऐसी लौंडी को अपने क़ब्जे में कर लिया। जिससे उसके यहां औलाद हुई हो तो इमाम साहब के नज़दीक गासिब (कब्ज़ा) करने वाला उस लौंडी की कीमत का ज़िम्मेदार न होगा। (जिल्द 3 पेज 388)

(88) शहर के रहने वाले लोग कुर्बानी ईद की नमाज़ से पहले नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो करना चाहें तो हनफी मज़हब के मुताबिक उन्हें यह करना चाहिये की कुर्बानी के जानवर को शहर से बाहर भेज दे और वहां फज्र होते ही जिब्ह कर डालें। (जिल्द 4 पेज 446)

(89) कोई शख़्स वलीमा वगैरह की दावत में गया। वहां खेल–तमाशे या नाच–गाने होते देखे तो वहां बैठने और खाना खाने में कोई हरज़ नहीं। इमाम साहब रह. ने फरमाया मैं भीं एक ऐसी जगह सब्र से बैठा रहा। (जिल्द 4 पेज 455)

(90) रेशमी तकियों पर सिर रखना और रेशमी बिस्तरों पर सोना, इमाम अबु हनीफा रह. की राय में कोई डर की बात नहीं। (जिल्द 4 सफा 456)

(91) आदमी अपनी ज़मी मोहरिम (जिससे निकाह जाइज़ नहीं) रिश्तेदार औरत के चेहरे, हाथों, रानों, सिर और सीने (छाती) को देख सकता है। (जिल्द 4 पेज 461)

(92) इन औरतों के उन हिस्सों (अंगों) को जिन का ज़िक्र ऊपर गुज़रा छू भी सकता है। (जिल्द 4 पेज 462)

(93) अंगूर का शीरा उस शख़्स के हाथ बेचना जो उसकी शराब बनाएगा, जाइज़ है। (जिल्द 4 पेज 472)

(94) किराए पर मकान देना इस वास्ते कि किरायेदार उसमें आतिशकदा (अग्नि मन्दिर) बनाए या गिरजाघर बनाए या शराब की दुकान खोले तो कुछ हरज़ नहीं। अबु हनीफा रह. की यही राय है। (जिल्द 4 पेज 472)

(95) दस–दस आयतो पर निशान लगाना मकरुह है और कुरआन में अअराब लगाना यानि ज़ेर, ज़बर व पेष वगैरह लगाना भी मकरुह है। (जिल्द 4 पेज 473)

(96) गेहूं, जौ, शहद और ज्वार की शराब हलाल है। उसके पीने वाले को हद नहीं लगाई जाएगी। चाहे उसके पीने से पीने वाले को नशा भी चढ़ा हो। अबु हनीफा रह. का यही मज़हब है। (जिल्द 4 पेज 496)

(97) शहद की, इन्जीर की, गेहूं की, ज्वार की और जौ की शराब हलाल है। यही अबु हनीफा रह. का मज़हब है। (जिल्द 4 पेज 497)

(98) नशे वाली चीज का वह प्याला (गिलास) जिससे नशा आए, वही हराम है। हनफी मज़हब का यही फैसला है। (अगर दसवें जाम (प्याले) पर नशा आए तो नौ तक कोई हरज़ नहीं।) (जिल्द 4 पेज 497)

(99) अंगूर की शराब जिसमें अंगूर का शीरा पकने में दो तिहाई जल गया हो और एक तिहाई रह गया हो तो हलाल है– मगर ताकत हासिल करने के लिए पीये। अबु हनीफा रह. और अबु युसुफ रह. की यही राय है। (जिल्द 4 पेज 497)

(100) जब शराब सिरका बन गई तो हलाल है और शराब का सिरका बना लेना मकरुह नहीं। (जिल्द 4 पेज 499)

मुहतरम हज़रात!

ये एक सौ मसाइल हिदाया शरीफ के आपने देख लिये। अब आप जान गये होंगें कि जिस मज़हब की तरफ आज अहले हदीसों को दावत दी जाती है और जिस मज़हब का आज असल इस्लाम होने का दावा है। उसका क्या हाल है?

आज अगर इस्लाम दुश्मन लोग इन मसाइल को लेकर इस्लाम पर ऐतराज़ करें तो क्या हमारा सर शर्म से नहीं झुक जाएगा?

ऐ हज़राते अहनाफ!

क्या यही वह हनफी मज़हब है जिस पर फख़ किया जाता है? क्या यही अबु हनीफा रह. के इज्तेहादात हैं जिनकी वजह से उन्हें इमामे आज़म कहा जाता है?क्या सचमुच इमाम साहब ही ने ज़ानियो पर मेहरबानी फरमाई है कि उन्हें हद माफ कर दी? यहां तक कि मां, बहन और बेटी वगैरह से मुंह काला करने वालो को भी सज़ा से दूर रखा?क्या हकीकत में इमाम साहब रह. ही ने शराबियों पर यह रहम खाया कि उन्हें कोड़े न लगने दिये?क्या वाकई इमाम साहब ही ने सूद को और शराब को हलाल बताया?क्या वाकई इमाम साहब को चोरों से हमदर्दी थी कि उनके हाथ न कटने दिये? क्या इमाम साहब की सिखाई नमाज़ यही है कि कपड़े नापाक हों, न रुकूअ व सज्दा ठीक–ठीक हो और न कौमा व जल्सा इत्मीनान से किया जाए? न बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रुरत और न कुरआन पढ़ने की, पीछे की राह से हवा निकाल दो गोया सलाम फर दिया? क्या इमाम साहब ने यही सिखाया है कि कुत्ते की खाल का डोल बना लो, उसी की जाय नमाज़ कर लो और नमाज़ पढ़ लो? क्या इमाम साहब ने ज़म्मियों का मर्तबा इतना बढ़ाया कि उन्हें रसूल सल्ल. को गालियां देने का भी डर न रहा?क्या इमाम साहब ने ही फरमाया कि दो झूठे गवाहों पर औरत हलाल है? क्या इमाम साहब ही ने हलाल औरतों को सिर्फ इसलिए हराम कर दिया कि उसकी अज़ीज़ा (मां–बेटी) को छू

लिया? और अगर छूने के बजाये बुरा काम कर लिया तो फिर हलाल कर दिया? क्या इमाम साहब ही ने मुसलमानों की तरक्की के लिए यह रास्ता तलाशा कि वो कुत्ते, सूअर, दरिन्दे, शराब और तबले–बाजे बेचें?क्या वह इसलिए इमामे आज़म हैं कि उन्होंने रोज़े के कफ्फारे से अहनाफ को बचा लिया? क्या यह सच है कि इमाम साहब ने मुर्दा औरत और चौपाए से बदअमली करने वालों को दिलेर बना दिया और कफ्फारा तक हटा दिया?क्या इमाम साहब ही ने मुश्तजनी (हस्तमैथुन) जैसे बुरे काम को भी रोज़े की हालत में भी कोई अहमियत न दी? क्या इमाम साहब ही ने भंग जैसी खबीस चीज़ को जाइज़ करार दिया? क्या इमाम साहब रह. ने फरमाया कि कुत्ते और सूअर नजिस नहीं?

ऐ उलमा ए अहनाफ! शर्म करिये कि एक बुज़ुर्ग, इबादत गुज़ार और मुत्तकी शख्स के माथे ऐसे गन्दे मसाइल थोपना कोई अच्छी बात नहीं। अब अपने आप ही से पूछो कि तुम इमाम साहब रह. के दोस्त हो या दुश्मन?

हम मुहम्मदी (अहले हदीस) तो डंके की चोट पर कहते हैं कि फिक्ह की इन किताबों का कोई भरोसा नहीं। इन राय व कयास के मजमूए का नाम इस्लामी कुतुब रखना इस्लाम से दुश्मनी करना है। बल्कि इन किताबों को हनफी मसलक की किताबें मानना भी अबु हनीफा रह. से बैर रखना और छुपी दुश्मनी रखना है।

बिरादराने इस्लाम !

हिदाया के सिर्फ एक सौ मसाइल का नमूना मैंने आपको इस किताब में बताया है। अगर आप हिदाया की पूरी हालत की जानकारी चाहते हैं तो मेरी किताब 'दिरायते–मुहम्मदी' पढ़े। उसके पढ़ने से आपकी आंखें खुल जाएंगीं और यकीन है कि आप इन्शाल्लाह क़यासाते फुक्हा की इन घाटियों से निकल कर कुरआन व हदीस के चमकते और साफ–सुथरे मैदान में आ जाएंगें।

अल्लाह तआ़ला हर मुसलमान को अल्लाह की और उसके रसूल सल्ल. की ताबेअ़दारी का शौक व ज़ौक अता करे और आपस में एक–दूसरे की सब बातों को अपने लिए फर्ज जानकर मानने और उसे रब बनाने से बचाए।

व आखिरु दअ़वाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन!

राकिम
मुहम्मद जूनागढ़ी
मुदर्रिस मदरसा मुहम्मदिया
अजमेरी दरवाज़ा– दिल्ली

नोटः–इस किताब के हवाले सब के सब 'हिदाया' (मतबूआ मकतबा थानवी देवबन्द) से लिये गये हैं।